

न्यायालय:- अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-658 / 2012

संस्थित दिनांक-08.08.2012

फाई. क.234503000112012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-विमल पिता बल्देवराज वधावन, उम्र-35 वर्ष,

2-नितिन उर्फ निम्मू पिता बल्देवराज वधावन, उम्र-31 वर्ष,

दोनों निवासी वार्ड नं.10 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट

— — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(दिनांक 16/11/2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो, 323, 324, 34 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 19.05.2012 को शाम 04:00 बजे रेस्ट हाउस बैहर लोकस्थान पर फरियादी प्रदीप भाटिया को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी प्रदीप भाटिया को भयभीत करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित कर मारपीट कर उसे स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की तथा फरियादी प्रदीप भाटिया को स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सहआरोपी विमल ने फरियादी प्रदीप भाटिया के बांये हाथ में अपने दांतों से काटकर उसे स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.12 को अमरनाथ यात्रा के संबंध में बैठक रेस्ट हाउस में थी, जहां मनोज दीक्षित, अभिषेक असाठी, धर्मेन्द्र राणा तथा अन्य लोग भी मौजूद थे। करीब 2:15 बजे उसकी पत्नि ज्योति ने फोन करके बताई कि सामने वाले विमल व निम्नू बधावन घर के सामने आकर उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुये मर्डर कर दूंगा कह रहे हैं। करीब 04 बजे निम्नू व विमल रेस्ट हाउस में आकर जान से मारने की धमकी देकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर उसे मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने हाथ उठाया तो विमल ने उसके बाएं हाथ को मुंह से पकड़कर दांतों से काट लिया, जिससे खून निकलने लगा। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/12 धारा-294, 323, 324, 506बी, 34 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत का मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में कराया गया। विवेचना दौरान फरियादी तथा गवाहों के कथन लिये गये तथा नजरी-नक्शा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो, 323, 324, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 19.05.2012 को 04:00 बजे शाम रेस्ट हाउस बैहर लोकस्थान पर फरियादी प्रदीप भाटिया को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को

क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर , फरियादी प्रदीप भाटिया को भयभीत करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे अपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रदीप भाटिया को मारपीट कर उसे स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित की ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रदीप भाटिया को स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सहआरोपी विमल ने फरियादी प्रदीप भाटिया के बांये हाथ में अपने दांतों से काटकर उसे स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— साक्षी प्रदीप भाटिया अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचानता है। घटना दिनांक 19.05.2012 को दिन के 4:00 बजे बैहर रेस्ट हाउस की है। दोनों आरोपीगण उसे आकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गालियां सुनने में बहुत बुरी लगी। दोनों आरोपीगण उसके साथ मारपीट करने लगे, जब उसने अपने बचाव करने के लिए हाथ उठाया तो आरोपी विमल ने उसके बांये हाथ में काट दिया था, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। उक्त घटना की लिखित शिकायत उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रपी-01 है जिसके अ.स.अ. भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

पुलिस ने उसकी शिकायत पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी-02 लेख किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर उसका चिकित्सीय परीक्षण बैहर शासकीय अस्पताल में हुआ था। पुलिस को उसने घटना किस स्थान पर घटी थी बता दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-3 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— साक्षी प्रदीप भाटिया अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण और उसकी दुकान आमने-सामने हैं, आरोपीगण और उसकी ऑटो रिपेयरिंग एवं ऑटो पार्ट्स की दुकान हैं, घटना के पूर्व से ही आरोपीगण से उसकी बातचीत नहीं होती है, वर्तमान में वह अपनी दुकान में बैठता है, उसकी दुकान से माल भी आसपास सप्लाई होता है, जिसकी वसूली वह स्वयं ही करता है, दिन शनिवार को बैहर का मार्केट बंद रहता है, घटना दिनांक को रेस्ट हाउस में अमरनाथ जाने वाले यात्रियों की मीटिंग थी, वहां पर भोजन की व्यवस्था भी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बालाघाट से भी अमरनाथ जाने वाले उस मीटिंग में उपस्थित हुए थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण को वह कैसे अमरनाथ यात्रा जाते हो, कहकर गाली-गलौच की गई थी, उसके द्वारा आरोपीगण को उक्त गाली उनकी दुकान के सामने दी गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रडी-01 में अ से अ का कथन पुलिस को दिया था।

08— साक्षी प्रदीप भाटिया अ.सा.01 ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसे उसकी पत्नि श्रीमती ज्योति ने 2:00 बजे दिन में कोई फोन नहीं किया था, दोनो आरोपीगण अमरनाथ यात्रा में जा रहे थे, इसलिए दोनों आरोपीगण

अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के साथ एवं उनके साथ रेस्ट हाउस बैहर में उपस्थित थे, किन्तु यह स्वीकार किया कि वह इसके पूर्व भी मनोज दीक्षित के साथ अमरनाथ यात्रा पर जा चुका है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है कि उसकी आरोपीगण से घटना के पूर्व से पटती नहीं है इसलिए आरोपीगण से बोलचाल बंद है, आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, आरोपी विमल ने उसे दांत से नहीं काटा था, आरोपीगण ने उनके साथ कोई गाली-गलौच नहीं की थी, उसने आरोपीगण के साथ गाली-गलौच किया था, उसकी आरोपीगण से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण वह आरोपीगण के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है तथा उसने आरोपीगण के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है।

09— साक्षी श्रीमती ज्योति भाटिया अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित दोनों आरोपीगण को पहचानती है। प्रार्थी प्रदीप भाटिया उसके पति है। घटना दिनांक 19.05.12 दिन के करीब 02:00 बजे की है। उनकी और आरोपीगण की दुकान आमने-सामने है। दिन के करीब 02:00 बजे आरोपी विमल गंदी-गंदी गालियां दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी। बाद में आरोपी विमल बधावन उसके पति प्रदीप भाटिया का नाम लेकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दे रहा था, जो उसे सुनने में बहुत बुरी लगी। आरोपीगण ने उसके पति को जान से मरने की धमकी दी। फिर वह जैसे ही घर से बाहर निकली तो आरोपीगण भाग गये। उक्त बात की जानकारी उसने अपने पति को फोन करके दी थी। उसके बाद उसे दिन के 04:00 बजे उसके देवर सतीश भाटिया और जगदीश भाटिया से पता चला कि आरोपीगण ने उसके पति के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— साक्षी श्रीमती ज्योति भाटिया अ.सा.02 ने अपने

प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पति और आरोपीगण की दुकान आमने-सामने है और दोनों मोटर ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि विवाद के पूर्व आरोपीगण एवं उसके पति में बातचीत बंद थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके घर के सामने से लोगों की आवा-जाही रहती है, उसने पुलिस को बयान घटना दिनांक को ही दिये थे। उसने 20 तारीख को पुलिस को कोई बयान नहीं दिये थे। उसने अपने पुलिस कथन में यह नहीं बताया था कि उसके देवर सतीश भाटिया और जगदीश भाटिया ने यह बताया था कि आरोपीगण ने उसके पति के साथ मारपीट की है। साक्षी के अनुसार पुलिस ने ऐसा पूछा नहीं था, इसलिए नहीं बताया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके पति को कोई गाली नहीं दी थी, उसके पति की आरोपीगण से पूर्व से रंजिश होने के कारण वह झूठा कथन दे रही है, उसके पति द्वारा आरोपीगण की दुकान पर जाकर उनके साथ गाली-गलौच की गई थी।

11— साक्षी मनोज दिक्षीत अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह अदालत में उपस्थित दोनों आरोपीगण को जानता है। वह आहत प्रदीप भाटिया को भी जानता है। उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-03 नहीं बनाया था। गर्ग साहब ने उससे कोरे कागज पर दस्तखत कराये थे। नक्शा प्रपी-03 पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 19.05.2012 को पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस बैहर में अमरनाथ यात्रा के संबंध में बैठक थी किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया कि बैठक के बाद रेस्ट हाउस में उसके साथ अभिषेक असाठी, धनेन्द्र राणा, और प्रदीप भाटिया बचे थे, रेस्ट

हाउस में शाम 4:00 बजे आरोपी निम्नू वधावन और उसका भाई विमल वधावन आये और प्रदीप भाटिया से बोले कि मादरचोद उन्हें देखकर गाली क्यों बक रहा था, प्रदीप भाटिया ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो दोनों आरोपीगण हाथ और घूँसों से प्रदीप भाटिया को मारने लगे, आरोपीगण ने प्रदीप भाटिया को जान से मारने की धमकी दी थी।

12— साक्षी मनोज दिक्षीत अ.सा.03 ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने अपने साथियों के साथ मौके पर बीच-बचाव किया था, दोनों पक्षों को अलग करने के बाद उसे प्रदीप भाटिया ने यह बताया था कि उसके बांये हाथ में आरोपी विमल ने दांत से काटा है, आरोपीगण ने प्रदीप भाटिया को एक साथ मां-बहन की गाली दी और जान से मारने की धमकी दी थी और लात-घूँसों से मारने की धमकी दी थी, उसने पुलिस को प्रपी-04 का संपूर्ण कथन दिया था, वह आरोपीगण से मिल गया है और उन्हें बचाने हेतु असत्य कथन दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि अमरनाथ यात्रियों का जत्था बैहर से वह ही लेकर जाता है, अमरनाथ यात्रा में जाने के लिये दोनों आरोपीगण मीटिंग में आये थे, आरोपीगण और फरियादी प्रदीप भाटिया का आमने-सामने एक जैसा व्यवसाय है, आरोपीगण व प्रदीप भाटिया में आपस में कई वर्षों से बोलचाल बंद है।

13— साक्षी धनेन्द्र राणा अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। साईं ट्रेवल्स नाम से उसका व्यवसाय है। घटना वर्ष 2012 की है। घटना दिनांक को पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस बैहर में अमरनाथ जाने के संबंध में मीटिंग लगी थी। वह भी मीटिंग में उपस्थित था। उसके बाद वह मीटिंग से चला गया था। वह प्रदीप भाटिया को भी जानता है। पुलिस ने घटना के संबंध में

पूछताछ की थी या नहीं उसे याद नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में मौका-नक्शा बनाया था या नहीं उसे याद नहीं है, किन्तु उसके प्र.पी-03 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— साक्षी धनेन्द्र राणा अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस बैहर में जो मिटींग रखी गई थी वह दिनांक 19.05.2012 को अमरनाथ जाने के संबंध में रखी गयी थी, उस मिटींग में वह, मनोज दीक्षित, प्रदीप भाटिया एवं अभिषेक असाठी भी उपस्थित थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि विमल वधावन एवं निम्मू वधावन भी आये थे। उसे घटना के संबंध में प्रदीप भाटिया ने बताया था कि उसके साथ मारपीट हुई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रदीप भाटिया ने उसे बताया था कि उसे आरोपी ने दांत से काट लिया है तथा निम्मू ने जान से मारने की धमकी दिया था तथा आरोपीगण द्वारा दी गई गालियां सुनने में बुरी लगी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

15— साक्षी धनेन्द्र राणा अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण के दुकान एवं प्रार्थीगण के दुकान आमने-सामने एवं दोनों मोटरपार्ट्स का काम करते हैं, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती है, उक्त मीटिंग में सभी लोग अमरनाथ जाने वाले उपस्थित थे, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आरोपीगण भी मीटिंग में आये थे, उसने अपने पुलिस कथन में उसने तथा मनोज दीक्षित एवं अभिषेक असाठी ने बीच-बचाव किया था वाली बात नहीं बतायी थी। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में निम्मू वधावन एवं विमल ने गाली-गलौच व हाथ-घूसों से प्रदीप भाटिया को मारपीट करने लगे थे, वाली बात नहीं बतायी थी। यदि

उक्त बात उसकी पुलिस कथन में लिखी हो तो नहीं बता सकता।

16— साक्षी धनेन्द्र राणा अ.सा.05 अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में प्रदीप भाटिया रिपोर्ट करने थाना बैहर में जाने वाली बात एवं विमल के द्वारा बांये हाथ में दांत से काट दिया है और खून निकल आया है, वाली बात नहीं बतायी थी। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि उसके समक्ष निम्नू वधावन ने कोई जान से मारने की धमकी एवं गाली गलौच नहीं दिया था, मारपीट करते समय निम्नू वधावन प्रदीप को जान से मारने की धमकी भी दिया था इसके द्वारा दी गई गालियां सभी को बुरी लगी वाली बात भी पुलिस बयान में नहीं बताया था। यदि उक्त बात उसकी पुलिस कथन में लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 उसके समक्ष नहीं बनाया गया था तथा उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

17— साक्षी अभिषेक असाटी अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व दोपहर लगभग 12-2:00 बजे प्रशासनिक रेस्ट हाउस बैहर की है। उक्त घटना दिनांक को रेस्ट हाउस में अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के संबंध में बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त होने के पश्चात वहां भोजन का आयोजन था, उसी दौरान आरोपी विमल वधावन आया और प्रार्थी प्रदीप के साथ गाली-गलौच करने लगा। उसी समय आरोपी विमल वधावन ने प्रदीप को एक हाथ मारा और फिर लोगों के द्वारा बीच-बचाव कर अलग-अलग कर बाहर कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया

है कि आरोपी विमल एवं निम्मू वधावन दोनों मिलकर प्रदीप के साथ मारपीट करने लगे थे, उसके समक्ष आरोपी विमल ने प्रदीप के बांये हाथ की कलाई में दांत से काट दिया था, पुलिस को उसने प्रपी-07 का कथन दिया था, वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिये उन्हें बचाने के लिये सही बात नहीं बता रहा है।

18— साक्षी अभिषेक असाटी अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण और प्रार्थी की दुकान आमने-सामने है, दोनो पक्षों का व्यवसाय मोटर पार्टस् से संबंधित है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण और प्रार्थी के बीच में मन-मुटाव होकर काफी समय से बोलचाल बंद है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रेस्ट हाउस में मीटिंग अमरनाथ यात्रियों की थी, घटना के समय वह रेस्ट हाउस के रूम नं.-2 में था, उसके प्रार्थी से व्यापारिक संबंध है। साक्षी के अनुसार आरोपीगण से भी उसके व्यापारिक संबंध है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। यदि पुलिस ने उसके बयान लेख कर प्रकरण में लगाये हो तो वह गलत है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह हल्ला सुनकर रेस्ट हाउस के कक्ष क्रमांक-2 से बाहर आया था, घटना स्थल रेस्ट हाउस पर भीड़ बहुत थी, वह नहीं बता सकता कि भीड़ के कारण विमल ने कौन से हाथ से मारा था, वह जब हल्ला सुनकर बाहर आया तब उसे लोगों ने आरोपीगण और प्रार्थी के बीच में आपसी विवाद के बारे में जानकारी दी थी।

19— बचाव साक्षी अभिषेक त्रिवेदी ब.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी विमल एवं नितिन को जानता है तथा प्रार्थी प्रदीप भाटिया को भी जानता है। घटना वर्ष 2012 की है। घटना के समय अमरनाथ यात्रियों की मीटिंग थी, जिसमें भोजन की भी व्यवस्था थी। उक्त मीटिंग में आरोपीगण एवं

प्रार्थी अमरनाथ जाने वाले थे इसलिये उपस्थित हुए थे। प्रार्थी प्रदीप भाटिया पहुँचे और आरोपीगण को देखकर गाली-गलौच करने लगे। आरोपीगण एवं प्रार्थी के बीच लड़ाई-झगड़ा होने का माहोल बन गया था, तब उन्हें वहाँ उपस्थित लोगों ने अलग-अलग किये थे। आरोपीगण एवं प्रार्थी के मध्य मारपीट नहीं हुई थी, केवल लामाझुमी हुई थी।

20— बचाव साक्षी अभिषेक त्रिवेदी ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि उसकी प्रार्थी प्रदीप भाटिया से दुश्मनी है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से अच्छी दोस्ती है। साक्षी के अनुसार उसकी प्रदीप भाटिया से भी अच्छी दोस्ती है। यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी, परंतु यह अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय रेस्ट हाउस में उपस्थित नहीं था, इसलिये पुलिस वालों ने उससे पूछताछ नहीं की थी तथा यह भी अस्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, आरोपी विमल वधावन ने प्रदीप भाटिया को दांत से काटा था तथा प्रार्थी प्रदीप भाटिया ने आरोपीगण को कोई गाली-गलौच नहीं की थी। यह कहना भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने प्रदीप भाटिया को गाली-गलौच की थी। यह स्वीकार किया है कि उकसा प्लाई-वुड का व्यवसाय है, जो आरोपीगण एवं प्रार्थी की दुकान के पास में ही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे गवाही देने हेतु न्यायालय से कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण द्वारा बताये अनुसार ही आज न्यायालय में कथन कर रहा हूँ तथा प्रार्थी प्रदीप भाटिया से उसकी दुश्मनी है, इसलिये वह आरोपीगण के साथ मिलकर उनके पक्ष में गवाही दे रहा है।

21— साक्षी डॉ०एन.एस. कुमारे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक महेश नंबर 1071 द्वारा आहत प्रदीप भाटिया को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था, उसके द्वारा आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत को एक चोट एब्रेजन जो कि दो से ज्यादा है, अर्द्ध चंद्राकार आकार में लालिमा लिये जो कि बांये हाथ के पंजे पर उपरी भाग पर होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि मनुष्य के काटने से आ सकती है। उक्त चोट उसकी जांच के 06 घंट के भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गयी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त चोट स्वयं द्वारा भी कारित की जा सकती है तथा किसी को दांत से काटा जाये तो दोनों तरफ निशान आयेगा।

22— साक्षी जग्गू बधाड़े अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी प्रदीप भाटिया के लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी निम्मू वधावन एवं विमल वधावन के विरुद्ध अपराध क्र.74/12 धारा-294, 323, 324, 506बी 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रपी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत प्रदीप भाटिया का मुलाहिजा फार्म भरकर ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भिजवाया था, जो प्रपी-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज किया था।

23- साक्षी अशोक कुमार गर्ग अ.सा. 08 ने कथन किया कि वह दिनांक 19.05.2012 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 74 / 2012 धारा- 294, 323, 324, 506बी, 34 भा.दं.सं. की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु थाना प्रभारी के आदेशानुसार प्राप्त हुई थी। दिनांक 20.05.2012 को वह घटनास्थल पर निरीक्षण प्रदीप भाटिया के बताये अनुसार कर गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी प्रदीप भाटिया, गवाह ज्योति भाटिया, मनोज दीक्षित, धनेन्द्र राणा, अभिषेक असाठी से पूछताछ कर कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। आरोपी नितिन वधावन तथा विमल वधावन को मुताबिक गिरफ्तारी पंचनामा के गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

24- साक्षी अशोक कुमार गर्ग अ.सा. 08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.डी.01 के अ से अ भाग का कथन प्रार्थी ने उसे नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, उसने अभिषेक असाठी, मनोज दीक्षित, धनेन्द्र राणा, ज्योति भाटिया के कथन अपने मन से लेख कर लिया है, उसने प्र.पी.03 की कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार की थी, उसने साक्षियों के समक्ष प्र.पी.03 की कार्यवाही नहीं की थी, उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था, उसे धनेन्द्र राणा, मनोज दीक्षित, अभिषेक असाठी ने दांत से काटे जाने वाली बात नहीं बताई थी उसने अपने मन से लेख कर ली थी।

25- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय घटनास्थल रेस्ट हाउस में अमरनाथ यात्रा की बैठक थी तथा कई व्यक्ति उपस्थित थे, परंतु परिवादी प्रदीप भाटिया अ.सा.01 के

अतिरिक्त किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा बचाव साक्षी अभिषेक त्रिवेदी ब.सा.01 ने मात्र लामा-झुमी होने के कथन किये हैं। केवल अभिषेक असाटी अ.सा.07 ने मुख्यपरीक्षण में घटना के समय आरोपी विमल द्वारा प्रदीप को हाथ मारने के कथन किये हैं, परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 02 में था तथा हल्ला सुनकर बाहर आने पर उसे लोगों ने विवाद के बारे में बताया था।

26— परिवादी की पत्नि ज्योति अ.सा.02 के अनुसार घटना के पूर्व आरोपीगण उसे तथा पति को घर पर गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे और पति को मारने की धमकी दे रहे थे, जो घर से बाहर आने पर भाग गये, जिसकी सूचना उसने पति को दी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके घर के बाहर लोगों की आवा-जाही रहती है। साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में ही व्यक्त किया है कि आरोपीगण उसके घर से निकलने पर भाग गये थे। उक्त घटना का कोई भी साक्षी नहीं है तथा उस समय वहां पर अभियुक्तगण की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि स्वयं साक्षी के अनुसार वहां लोगों की आवा-जाही रहती है और घटना दिन के 02:00 बजे की है। अब यदि उक्त साक्षी पर विश्वास किया जाए कि तत्पश्चात् आरोपीगण परिवादी का अहित करने का आशय रखकर रेस्ट हाउस गये थे, तब भी प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वास्तव में यदि दो व्यक्ति परिवादी के साथ उक्त आशय से विवाद करते तो परिवादी को अन्य चोटें भी संभावित थी, क्योंकि स्वयं परिवादी प्रदीप भाटिया ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। जबकि मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.05 के अनुसार परिवादी को मात्र एक चोट थी, जो कि परिवादी के अनुसार

आरोपी विमल ने उसे कारित की थी।

27— प्रकरण में स्वयं परिवादी तथा अन्य साक्षियों द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसकी तथा आरोपीगण की पूर्व से बातचीत बंद है। यद्यपि पुरानी रंजिश के कारण संपूर्ण घटनाक्रम रचित करना सामान्यतः अविश्वसनीय प्रतीत होता है, परंतु प्रकरण की साक्ष्य ही घटनाक्रम को संदिग्ध बनाती है और चिकित्सा अधिकारी डॉ० एन०एस० कुमारे अ.सा.०४ ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया है कि आहत की चोट स्वकारित हो सकती है तथा अन्य द्वारा काटने से दोनों तरफ निशान आना संभावित है। फलतः प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

28— परिणामस्वरूप अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रदीप भाटिया को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी प्रदीप भाटिया को भयभीत करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित कर मारपीट कर उसे स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित की तथा फरियादी प्रदीप भाटिया को स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सहआरोपी विमल ने फरियादी प्रदीप भाटिया के बांये हाथ में अपने दांतों से काटकर उसे स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो, 323, 324, 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

29— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

31— प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक् से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / —

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)